न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी:–

राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. अजितसिंह दत्तकपुत्र बुधाराम जाति जाट
2. आनन्दसिंह पुत्र हनुमान जाति जाट
3. मनुडी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासीयान ग्राम लोहराणा तहसील नावां।
4. मैनेजर यूको बैंक शाखा गुढासाल्ट तहसील नावां।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :– तहसीलदार नावां

मुकदमा नम्बर: 56/2023 — निर्णय दिनांक:– 07.02.2024

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम लोहराणा पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.95 हैक्टर संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है। राजस्व ग्राम लोहराणा पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0. 95 हैक्टर भुमि मे प्रत्येक प्रतिवादीगण संख्या 1 की 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा की भुमि दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरान की भुमि मे से समर्पणकर्ता अजितसिंह दत्तक पुत्र बुधाराम, आनन्दसिंह पुत्र हनुमान, मनुडीदेवी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी लोहराणा तहसील नावां द्वारा एक समर्पण पत्र तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध मे हल्का पटवारी जाबदीनगर से रिपोर्ट ली गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार समर्पणकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा खसरा नम्बर 188 रकबा 0.95 हैक्टर भुमि में से अपने हिस्से में से पुर्व से पश्चिम लम्बाई 64 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 256 वर्गमीटर अर्थात 0.0256 हैक्टर भुमि को जनहित राज हक मे समर्पण पेश किया है प्रस्तावित समर्पण हेतु भुमि मौके पर खाली है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है एवं समर्पणकर्ता का हिस्सा युको बैंक शाखा गुबसाल्ट में रहन दर्ज है। उक्त समर्पण पत्र वादी भुमिधारी तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकार किया है परन्तु समर्पणकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा समर्पण की गयी भुमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी सं[illegible] यूको बैंक शाखा गुढासाल्ट द्वारा रहन दर्ज होने से बिना सुनवाई भुमि का विभाजन [illegible] सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। उपरोक्त भूमि रहन होने के कारण समर्पण की गयी ग्राम लोहराणा के खसरा नं. 188 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि मे से 0.0256 हैक्टर भूमि का राज हक [illegible] वादी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि का भू – विभाजन कर अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के राजहक में समर्पण किया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 बैंक होने से बैंक का हित सुरक्षित रखा गया है।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम लोहराणा पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादी/सरकार के हक में 0.0256 हैक्टर भूमि समर्पण किया गया है। इसलिए राजस्व ग्राम लोहराणा पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि में से 0.0256 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि को अलग किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम लोहराणा पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि में से मौका रिपोर्ट में अंकित 0.0256 हैक्टर भूमि का वादी का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त 0.0256 हैक्टर की भूमि का विभाजन किया जाता है तथा उक्त 0.0256 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। राजहित होने से निशुल्क डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:52 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. अजितसिंह दत्तकपुत्र बुधाराम जाति जाट
2. आनन्दसिंह पुत्र हनुमान जाति जाट
3. मनुडी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासीयान ग्राम लोहराणा तहसील नावां।
4. मैनेजर यूको बैंक शाखा गुढासाल्ट तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 56 / 2023 **निर्णय दिनांक :—** 07.02.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम लोहराणा पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि में से मौका रिपोर्ट में अंकित 0.0256 हैक्टर भूमि का वादी का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त 0.0256 हैक्टर की भूमि का विभाजन किया जाता है तथा उक्त 0.0256 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.02.2024 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन))

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:52 IST
Reason: SelfAttested